



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012023-242007
CG-DL-E-16012023-242007

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256]
No. 256]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 16, 2023/पौष 26, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 16, 2023/PAUSHA 26, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2023

का.आ. 270(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियमावली के नियम 5ग और 5ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए 'विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था' की श्रेणी के तहत 'वैज्ञानिक अनुसंधान' के लिए 'भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरुपति (पैन: AAAAI9820P)' को अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र (अर्थात् पूर्व वर्ष 2022-23) में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2023-2024 से 2027-2028 तक लागू होगी।

[फा. सं. 203/02/2022/आईटीए-II]

रविन्द्र मैनी, निदेशक